

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी, उ०प्र०।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

संख्या- 1/शा०/०१/६/२०१९-१/०६/२०१९ :

लखनऊ: दिनांक २९ अप्रैल, २०१९

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-१४ के अधीन लेखाशीर्षक २५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-१०१-पंचायती राज-०४-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-१३/२०१९/७९३/३३-३-२०१९-१००(३)/२०१७ दिनांक ०८.०४.२०१९ के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू०-२,२४,४७,२३८/- (रूपया दो करोड़ चौबीस लाख सैंतालिस हजार दो सौ अड़तीस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

१. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
२. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
३. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (१५ डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
४. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-१२ में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
५. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय में संख्या-१/२०१९/बी-१-१७०/दस-२०१९-२३१/२०१९ दिनांक २२.०३.२०१९ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
६. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः ०२ माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
७. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसी व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
८. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-४/२०१८/आर०जी०-१०२१/दस/२०१८-मित०-१/२०१८ दिनांक १८.०९.२०१८ द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
९. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष २०१९-२० के अनुदान संख्या-१४ के अधीन लेखाशीर्षक २५१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-१०१-पंचायती राज-०४-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामों में डाला जायेगा।
१०. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
११. बी०एम०-४ पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
१२. यदि बी०एम०-४ में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-10 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/01/7/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-26/04/2019

प्रेषण संख्या:- 1-sha-01-06-2019-1-06-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 001-01-06-2019
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	614833 614833	73779 73779	5902 5902	37504 37504	6701 6701	738719 738719
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	884831 884831	106179 106179	8494 8494	53974 53974	9644 9644	1063122 1063122
3	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	989100 989100	118692 118692	9495 9495	60335 60335	10781 10781	1188403 1188403
4	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	470866 470866	56503 56503	4520 4520	28722 28722	5132 5132	565743 565743
5	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2382415 2382415	285889 285889	22871 22871	145327 145327	25968 25968	2862470 2862470
6	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	691833 691833	83019 83019	6641 6641	42201 42201	7540 7540	831234 831234
7	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1889042 1889042	226685 226685	18134 18134	115231 115231	20590 20590	2269682 2269682
8	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2300636 2300636	276076 276076	22086 22086	140338 140338	25076 25076	2764212 2764212
9	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	492450 492450	59094 59094	4727 4727	30039 30039	5367 5367	591677 591677
10	बाँदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	405668 405668	48680 48680	3894 3894	24745 24745	4421 4421	487408 487408
11	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	907550 907550	108906 108906	8712 8712	55360 55360	9892 9892	1090420 1090420
12	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	91933 91933	11031 11031	882 882	5607 5607	1002 1002	110455 110455
13	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1837273 1837273	220472 220472	17637 17637	112073 112073	20026 20026	2207481 2207481
14	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	650358 650358	78042 78042	6243 6243	39671 39671	7088 7088	781402 781402
15	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	652400 652400	78288 78288	6263 6263	39796 39796	7111 7111	783858 783858

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	56-नगर प्रतिकर भत्ता	योग
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2351631 2351631	282195 282195	22575 22575	143449 143449	25632 25632	2825482 2825482
17	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	562800 562800	67536 67536	5402 5402	34330 34330	6134 6134	676202 676202
18	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	507091 507091	60850 60850	4868 4868	30932 30932	5527 5527	609268 609268
	योग	वर्तमान प्रगामी	18682710 18682710	2241916 2241916	179346 179346	1139634 1139634	203632 203632	22447238 22447238

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ अड़तीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार दो सौ अड़तीस

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी